भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 7
दिनांक 29.01.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन के अंतर्गत कवरेज

†*7. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवालः
श्री नव चरण माझीः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत चालू घरेलू नल-जल कनेक्शनों की वर्तमान स्थिति क्या है और देश भर में, विशेषकर महाराष्ट्र के पालघर जिले में इसके अंतर्गत शामिल किए गए ग्रामीण परिवारों की संख्या और उनका प्रतिशत क्या है;
(ख) किन-किन राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों ने शत-प्रतिशत हर घर जल का दर्जा प्राप्त कर लिया है और शेष राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में सार्वभौमिक कवरेज प्राप्त करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;
(ग) राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में और कटक सहित देश भर के विद्यालयों और आंगनवाड़ी केन्द्रों में नल-जल कनेक्शनों की कवरेज का राज्य-वार और जिला-वार ब्यौरा क्या है और नबरंगपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में, विशेष रूप से ओडिशा के नबरंगपुर और मलकानगिरी जिलों में ग्रामीण घरों, विद्यालयों और आंगनवाड़ी केन्द्रों में नल-जल कनेक्शन के संबंध में एक पृथक और विशिष्ट स्थिति रिपोर्ट क्या है;
(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र के पालघर जिले में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए कितनी धनराशि आवंटित और जारी की गई है तथा कितनी धनराशि उपयोग में लाई गई है;
(ङ) राजस्थान में जल जीवन मिशन की जिला-वार प्रगति का ब्यौरा क्या है और किन-किन जिलों में उक्त कार्य अभी भी अधूरा है/प्रगति पर है तथा भीलवाड़ा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित राज्य में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिला-वार कुल कितने नए कनेक्शन स्वीकृत किए गए हैं;
(च) राजस्थान में जल जीवन मिशन के अंतर्गत अब तक कुल कितनी परियोजनाओं की संपरीक्षा की गई है और ऐसे कुल कितने मामलों में अनियमितताओं का पता चला है; और
(छ) ऐसे मामलों में किन-किन व्यक्तियों अथवा एजेंसियों को दोषी पाया गया है और उनके विरुद्ध अब तक क्या प्रशासनिक अथवा कानूनी कार्रवाई की गई है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री
(श्री सी. आर. पाटिल)

(क) से (छ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"जल जीवन मिशन के अंतर्गत कवरेज" के संबंध में श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल और श्री नव चरण माझी द्वारा पूछे गए दिनांक 29.01.2026 को उत्तर हेतु नियत लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *7 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): जल जीवन मिशन के शुभारंभ से ग्रामीण परिवारों हेतु नल जल तक पहुंच बढ़ाने की दिशा में देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (16.72%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, अब तक 12.55 करोड़ से अधिक और ग्रामीण परिवारों को जेजेएम के तहत नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 26.01.2026 तक, देश के 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से, 15.79 करोड़ से अधिक (81.56%) परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है। पालघर में, 26.01.2026 तक, 4.52 लाख ग्रामीण परिवारों में से लगभग 3.19 लाख ग्रामीण परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

(ख): जेजेएम-आईएमआईएस पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 8 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों (गोवा, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश और गुजरात, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव तथा पुदुचेरी) ने हर घर जल का दर्जा हासिल कर लिया है। शेष राज्य सभी परिवारों के लिए अपनी कार्यपरिपूर्णता योजना के अनुसार कार्य को पूरा करेंगे।

(ग): जल जीवन मिशन (जेजेएम) का उद्देश्य पूरे भारत में हर ग्रामीण घर में कार्यशील पारिवारिक नल कनेक्शन (एफएचटीसी) की आपूर्ति करना है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित शहरी क्षेत्रों में नल कनेक्शनों की कवरेज इस विभाग द्वारा नहीं रखी जाती है। जेजेएम-आईएमआईएस पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 26.01.2026 तक, देश में 89.62% स्कूलों और 85.60% आंगनवाड़ी केंद्रों में नल जल आपूर्ति का कनेक्शन है। परिवारों (एचएच), स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में नल जल कनेक्शन की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जानकारी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है और इसे नीचे दिए गए लिंक पर देखा जा सकता है:

https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMState.aspx.

https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/School/JJMSchool India.aspx

नबरंगपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में ग्रामीण परिवारों, स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में नल जल कनेक्शन का विवरण, विशेष रूप से नबरंगपुर और मलकानगिरी जिलों के साथ-साथ ओडिशा के कटक जिले में, इस प्रकार है:

नबरंगपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र			
जिले का नाम	पारिवारिक (एचएच) नल कनेक्शन की संख्या	नल कनेक्शन वाली आंगनवाड़ियों की संख्या	नल कनेक्शन वाले स्कूलों की संख्या
नबरंगपुर	2.36 लाख (76.59%)	965 (43.98%)	1162 (61.32%)
कोरापुट	2.23 लाख (68.55%)	1,371 (44.63%)	1365 (67.08%)

मलकानगिरी	67,887 (54.61%)	659 (54.96%)	873 (64.29%)
कटक जिला			
कटक	3.52 लाख (78.15%)	1514 (59.51%)	1572 (75.87%)

(घ): जल जीवन मिशन (जेजेएम) के तहत आवंटित, जारी और महाराष्ट्र राज्य द्वारा उपयोग की गई निधियों का वर्ष-वार विवरण निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रुपये में)

वर्ष	केंद्रीय हिस्सा					राज्य के हिस्से के अंतर्गत व्यय
	अथ शेष	बजट आवंटन	राज्य द्वारा आहरित निधि	कुल उपलब्ध निधि	संसूचित उपयोग	
2019-20	248.12	847.97	345.28	593.40	308.04	431.79
2020-21	285.35	1828.92	457.23	742.58	473.59	324.56
2021-22	268.99	7,064.41	1,666.64	1,935.63	377.98	477.98
2022-23	1,557.65	7,831.25	3,915.62	5,473.27	3,109.53	2,972.21
2023-24	2,363.74	21,465.88	7,444.26	9,808.00	8,208.53	8,371.34
2024-25	1,599.47	5,352.93	1,605.88	3,205.35	2,235.12	3,150.59
2025-26	970.22	-	-	970.22	-	971.94

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस

आवंटित निधि और उपयोग की गई निधि का जिला-वार ब्यौरा भारत सरकार के स्तर पर नहीं रखा जाता है।

(ङ) से (छ): अगस्त 2019 से, भारत सरकार राज्यों की भागीदारी से जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल कार्यान्वित कर रही है, ताकि कार्यशील नल जल कनेक्शन के माध्यम से राजस्थान के सभी जिलों और भीलवाड़ा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु पीने योग्य जल का प्रावधान किया जा सके। जेजेएम-आईएमआईएस पर राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, अगस्त 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत में, केवल 11.74 लाख (10.90%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, जेजेएम के तहत 50.86 लाख से अधिक और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 26.01.2026 तक, राजस्थान के 107.73 लाख ग्रामीण परिवारों में से 62.60 लाख (58.11%) से अधिक परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है। राजस्थान में नल कनेक्शनों का जिला-वार विवरण पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है और इसे नीचे दिए गए लिंक पर देखा जा सकता है:

https://ejalshakti.gov.in/jjmreport/JJMState.aspx.

पेयजल राज्य का विषय है और पेयजल आपूर्ति योजनाओं/परियोजनाओं की आयोजना, डिजाइन, अनुमोदन और कार्यान्वयन का अधिकार राज्य सरकार के पास है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। इसके अलावा, सवालों/शिकायतों आदि का समाधान करने के अधिकार संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पास हैं और उन्हें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर निपटाया जाता है। तदनुसार, इस विभाग में अब तक इस योजना के कार्यान्वयन में अनियमितताओं, भ्रष्टाचार के मामलों और निधियों के दुरुपयोग सहित प्राप्त सवालों/शिकायतों को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य सरकार को भेज दिया गया है। राजस्थान राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 67 मामलों में 170 विभागीय अधिकारियों, 53 ठेकेदारों और 2 तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसियों (टीपीआईए) के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।
